

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 597


दिनांक :- 28.07.22

II कार्यालय आदेश II

दिनांक 31.07.2022 के राजकीय अवकाश के लिए श्रीमति निधि शर्मा ग्राम न्यायालय, देवली, जिला-टोंक मोबाईल नम्बर 9461322165 को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है एवं उक्त दिनांक को श्री लोकेश कुमार मीना, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली, जिला-टोंक मोबाईल नम्बर 9887783170 को टोंक न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे।

उक्त इयूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस् की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इयूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 599

दिनांक :- 28.07.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई/टोडारायसिंह।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)